प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.04.2024

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 01 शातिर तार चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया विद्युत तार वजन करीब 120 किलोग्राम बरामद।

दिनांक 06.04.2024 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर विद्युत चोर अभियुक्त मनोज चौहान पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जिला शामली हालपता जीतपुर रावली रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किया गया विद्युत तार वजन करीब 120 किलोग्राम बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि ये बिजली के तार मैंने अपने दो साथियों के साथ दिनांक 3/4.04.2024 की रात्री में ग्राम कन्नौजा के जंगल में बिजली के खम्भों से काटकर चोरी किये थे तथा मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस तरह कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। चोरी के तारो को हम कबाड़ी को अच्छे दामों पर बेचकर धन कमाते है तथा आपस में बांट लेते हैं।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त–

मनोज चौहान पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जिला शामली व हालपता जीतपुर रावली रोड थाना मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मनोज चौहान के विरुद्ध जनपद मेरठ, जनपद हापुड, जनपद गाजियाबाद में चोरी के 10 मुकदमे पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी किया गया विद्युत तार वजन करीब 120 किलोग्राम

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा लूट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्ज़े से 01 मोबाईल व 01 तमंचा 315 बोर व जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

घटना का विवरण-

दिनांक 20.03.2024 को वादी श्री रामवीर सिंह पुत्र देवेन्द्र पाल सिंह निवासी P-17, अक्षय एन्कलेव गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाज़ियाबाद की एक लिखित तहरीर दी कि दिनांक 19/03/24 को वादी अपनी कंपनी Club Mahindra मे काम करके सिटी पार्क होते हुए वापिस अपने घर जा रहा था कि रहीसपुर रोड के पास सिटी पार्क मे समय करीब 9 बजे

(रात) 2-3 लड़के वादी के पास टहलते हुए आयें और वादी के मोबाईल व कंपनी का लैपटॉप को छीन कर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मधुबन बापूधाम पर उचित धाराओ में मुकदमे पंजीकृत किया गया था। तथा घटना के अनावरण हेतु 03 टीमें गठित की गयी थी।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 07.04.2024 को पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर एनडीआरएफ रोड सदरपुर गेट के सामने चौराहा के पास से 02 अभियुक्तगणो को पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण रोहित उर्फ कोबरा व दीपक उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया कि हमने व हमारे साथी करन पुत्र हरीराम निवासी गंगापुरम गा0बाद नें मिलकर दिनांक 19.03.2024 को सिटी पार्क के अन्दर राहगीर से दो मोबाईल व एक लैपटॉप छीना था। जिसमें से एक मोबाईल व लैपटॉप करन के पास है। यह जो मोबाईल हमसे मिला है। यह वही दूसरा मोबाईल है।

नाम पता अभियुक्त गण –

1. रोहित उर्फ कोबरा पुत्र वीर सिंह निवासी गली नं0 02 शताब्दीपुरम थाना कविनगर गाज़ियाबाद उम्र 20 वर्ष
2. दीपक पुत्र शिवमूरत सिंह निवासी म0नं0 1344 गली नं0 06 अक्षय एन्कलेव थाना कविनगर गाज़ियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण

1. अभियुक्त रोहित उर्फ कोबरा उपरोक्त के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर 01 मुकदमा लूट का तथा 01 मुकदमा आयुध अधिनियम का कुल 02 मुकदमे पंजीकृत है।
2. अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर लूट का 01 मुकदमा दर्ज है।

बरामदगी का विवरण

1. 01 मोबाईल फोन
2. 01 तमंचा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15000/- रु0, 01 अवैध तमंचा व 01 कारतूस बरामद।

घटना का विवरणः-

दिनांक 25.12.2023 को वादी श्री सतेन्द्र गोयल पुत्र श्री जगदीश चन्द्र गोयल निवासी SH 88 शास्त्रीनगर गाज़ियाबाद द्वारा अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उनका बैग लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी। उक्त तहरीर के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते मुकदमा पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आयें अभियुक्तगण 1. नीतीश भडाना पुत्र

श्री रविन्द्र भडाना निवासी दयानगर थाना जारछा ज़िला गौतमबद्दनगर उम्र करीब 23 वर्ष 2. साहिल उर्फ बबी पुत्र धर्मेंद्र सिंह निवासी गांव सैंतली थाना जारचा गौतमबुधनगर 25 वर्ष को आज दिनांक 07.04.2024 को आरडीसी फ्लाईओवर के नीचे आरडीसी से नासिरपुर फाटक जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त नीतीश भडाना से बरामद रुपयो व तमन्चे के बारे मे पूछने पर बताया कि साहब यह रुपये कविनगर मे हमारे द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर दिसम्बर माह मे की गयी लूट मे से हमारे हिस्से मे आये 40-40 हजार रुपयो मे से बचे हुये है और तमन्चा हम अपनी सुरक्षा के लिये रखते है । अभियुक्त साहिल उर्फ बाबी ने भी अभियुक्त नितीश भड़ाना की बात का समर्थन किया।

अभियुक्त का नाम पता

1. नीतीश भडाना पुत्र श्री रविन्द्र भडाना निवासी दयानगर थाना जारछा जिला गौतमबद्दनगर उम्र करीब 23 वर्ष
2. साहिल उर्फ बबी पुत्र धर्मेंद्र सिंह निवासी गांव सैंतली थाना जारचा गौतमबुधनगर 25 वर्ष

बरामदगी -

1. 15000 रू/- नकद
2. 01 तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 02 शातिर अपराधी मुठभेड मे गिरफ्तार , कब्जे से अवैध असलहे व कारतूस बरामद

दिनाँक- 07/04/2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना सिहानी गेट क्षेत्र से 02 शातिर अभियुक्तो को पुलिस मुठभेड मे गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से अवैध 01 पिस्टल .32 बोर मय जिन्दा व खोखा कारतूस .32 बोर व 01 तमंचा .315 बोर नाजायज मय जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त हर्षित चिकारा ने बताया कि वह 10वीं पास है तथा बालाजी एन्कलेव में रहता है वह नोएडा में मोटर साइकिल के पार्टस बनाने वाली एक कम्पनी में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। वर्ष 2019 में उसके खिलाफ थाना मोदीनगर में बलात्कार का मुकदमा लिखा था जिस मुकदमे में वह वर्ष 2019 में जेल गया था और करीब ढाई वर्ष जेल में रहा था। जेल में उसकी मुलाकात कुख्यात अपराधी अंकुश उर्फ अंकुर पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम मुकिमपुर की मंढिया थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद से हुई थी, जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या के प्रयास,लुट आदि के करीब दो दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अंकुश वर्तमान समय में अपने ही गांव के नरेश के मर्डर में जेल में हैं जिसमें उसकी गवाही चल रही थी, अंकुश के आपराधिक कृत्यो को देखते हुए उसे डासना जेल गाजियाबाद से सन्तकबीर नगर की जेल में भेज दिया गया था। मेरे जेल से बाहर आने के बाद भी जब भी अंकुश कोर्ट में पेशी पर आता था तो मैं व मेरा साथी रोहित चौधरी कचहरी में अंकुश से मुलाकात करने जाते थे । अंकुश ने हमको बताया था कि हत्या के मकदमें में गवाही उसके खिलाफ हो चुकी हैं जिनमें उसको सजा होने वाली हैं । उसने हम दोनो को उसकी अगली पेशी पर उसे पुलिस कस्टडी से फरार कराने की योजना बनाकर आना के लिये कहा था और अभी 3 दिन पहले वह गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर आया था हम दोनो उससे कोर्ट में मिलने गये थे और अगली पेशी में उसे फरार करवाने की बात कही थी। हम लोगो ने हमसे बरामद हथियारो को भी इसी योजना के लिये इकटठा किया था।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, अभियुक्तगणों से मिली जानकारी के आधार पर असलहा देने वाले व अन्य सम्बंधित अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर दबिशें दी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. हर्षित चिकारा पुत्र कुलदीप सिंह मूल निवासी ग्राम खानपुर थाना जॉनी जनपद मेरठ हाल निवासी किराये पर गली न 10 0 बालाजी एन्कलेव थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब2 वर्ष 5
2. रोहित चौधरी पुत्र चौहरिकुन् 1 0मकान न 1 0सुगम सिंह निवासी गली न 0ज कालोनी तिवडा रोड कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 2वर्ष 4

बरामदगी का विवरण-

1. एक पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन, 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर व 01 खोखा कारतूस .32 बोर
2. एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त हर्षित चिकारा के विरूद्ध गाजियाबाद मे 03 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त रोहित चौधरी के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद